



ए.एफ.आर.

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
 विविध सिविल केस संख्या 138/2021
 {WP(Cr.)No.540/2020 में पारित दिनांक 10-12-2020 के आदेश से उत्पन्न}
 आदेश आरक्षित: 19-3-2021
 आदेश जारी होने की तिथि: 7-6-2021

1. छत्तीसगढ़ राज्य, प्रमुख सचिव के माध्यम से,
 छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग,
 मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
 जिला रायपुर (छ.ग.)

(प्रतिवादी क्र.1)

2. थाना प्रभारी, पुलिस स्टेशन अ.जा.क, कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)

(प्रतिवादी सं.2)

----- आवेदक

विरुद्ध

राम स्वरूप राजवाड़े, पिता पवन कुमार राजवाड़े, उम्र लगभग

25 वर्ष, ग्राम कनकीमुडीपारा, पुलिस स्टेशन उरगा, जिला कोरबा (छ.ग.)

(रिट आवेदक)

----- प्रत्युत्तरकर्ता

 आवेदक/राज्य की ओर से : श्री सुनील ओटवानी, अतिरिक्त महाधिवक्ता।

अनावेदक की ओर से: सुश्री अदिति सिंघवी, अधिवक्ता।



माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल

सी.ए.वी. आदेश

1. यह मामला 19-3-2021 को आदेश के लिए सुरक्षित रखा गया था, लेकिन आदेश दिए जाने के पूर्व ही, सक्षम प्राधिकारी द्वारा 14-4-2021 से लॉकडाउन घोषित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप, यह न्यायालय भी बंद रहा और लॉकडाउन के दौरान न्यायालयों के बंद होने एवं उसके पश्चात दिनांक 10-5-2021 से इस न्यायालय की ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रारंभ हो जाने के कारण, ग्रीष्मकालीन अवकाश के पश्चात पुनः न्यायालय के खुलने पर अर्थात् आज दिनांक 07-06-2021 को यह आदेश सुनाया जा रहा है।
2. यहां दो आवेदक, जिनमें छत्तीसगढ़ राज्य के विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव एवं स्टेशन हाउस अधिकारी, पुलिस स्टेशन अजाक, कोरबा के स्टेशन हाउस अधिकारी ने इस न्यायालय द्वारा WP(Cr.) संख्या 540/2020 में राम स्वरूप राजवाड़े बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य¹ के मामले में पारित आदेश दिनांक 10-12-2020 में संशोधन की मांग हैं।
3. आवेदकों ने मुख्य रूप से इस आधार पर संशोधन की मांग की है कि अधिसूचना दिनांक 12-9-2014 (अनुलग्नक ए-2) द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संक्षेप में, 'एस.सी.-एस.टी. अधिनियम, 1989') की [धारा 14](#) के तहत निर्दिष्ट विशेष न्यायालय को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षेप में, ' [पोक्सो अधिनियम](#) ') की [धारा 28 के तहत पोक्सो अधिनियम](#) के प्रावधानों के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए 'विशेष न्यायालय' के रूप में अधिसूचित किया है, इसलिए दिनांक 10-12-2020 के आदेश को संशोधित किया जाए और दिनांक 12-9-2014 की अधिसूचना को भी इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 10-12-2020 के आदेश में शामिल किया जाए। दूसरे शब्दों में, राज्य सरकार का यह मत है कि – उक्त संशोधन अर्थात् इस न्यायालय का आदेश केवल इस मामले के पक्षकारों पर ही लागू होगा, अर्थात् राम स्वरूप राजवाड़े बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य, और जहां तक संबंधित बिंदुओं के अन्य मामलों का सवाल है तो उक्त मामलों पर दिनांक 12-9-2014 की अधिसूचना लागू होगी।

1 2021 सीआरआई.एलजे 1787 : ए.आई.आर. 2021 ऑनलाइन छत्तीसगढ़ 133



4. आवेदक/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सुनील ओटवानी ने एकमात्र यह तर्क प्रस्तुत किया है कि चूंकि राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 12-9-2014 द्वारा अनुलग्नक ए-2 के माध्यम से एस.सी./एस.टी. वर्ग के बच्चों के खिलाफ [पोक्सो अधिनियम](#) के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए एस.सी.-एस.टी. अधिनियम, 1989 के तहत विशेष अदालत को अधिसूचित किया था और अधिसूचना दिनांक 12-9-2014 को रिट याचिका की सुनवाई और आदेश दिनांक 10-12-2020 को पारित करने के समय इस न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया जा सका, इसलिए अधिसूचना दिनांक 12-9-2014 को सुविधा के लिए WP(Cr.) संख्या 540/2020 में पारित आदेश दिनांक 10-12-2020 के ऑपरेटिव पैराग्राफ में शामिल/उल्लेख किया जाए और सुविधा कि दृष्टी से एम.सी.सी. को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाए।

5. अनावेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री अदिति सिंघवी ने कहा कि राज्य के सर्वोच्च प्राधिकारी अर्थात् इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून उसके अधीन सभी प्राधिकारियों, न्यायाधिकरणों पर बंधनकारी है और राज्य इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता है, क्योंकि इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून को किसी उच्च फोरम में चुनौती नहीं दी गई है तथा इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका में पारित आदेश राज्य पर लागू है तथा उस पर बंधनकारी है। उन्होंने आगे कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिका में पारित आदेश के प्रभाव को रिट याचिका में संशोधन की आड़ में कम नहीं किया जा सकता है। उन्होंने न्यायालय के संज्ञान में बाल बलात्कार की घटनाओं की संख्या में चिंताजनक वृद्धि के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लाया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि यदि देश के किसी जिले में [पोक्सो अधिनियम के तहत 100 से अधिक मामले हैं, तो उक्त जिले में एक विशिष्ट/नामित विशेष न्यायालय स्थापित किया जाएगा, जो पोक्सो अधिनियम](#) के तहत अपराधों के अलावा किसी अन्य अपराध की सुनवाई नहीं करेगा। उन्होंने बाल बलात्कार की घटनाओं की संख्या में चिंताजनक वृद्धि के मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दायर हलफनामे को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य को विशेष POCSO अदालतों को अन्य मामलों को लेने के लिए अनुमति देने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया है। उन्होंने अपनी दलील को पुष्ट करने के लिये [ईस्ट इंडिया कमर्शियल कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता और अन्य बनाम कलेक्टर ऑफ कस्टम्स, कलकत्ता](#)⁴ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया है जिसके अनुसार राज्य में उच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून उसके अधीन अधिकारियों या न्यायाधिकरणों के लिए



बाध्यकारी है और वे कार्यवाही शुरू करने या ऐसी कार्यवाही में शामिल अधिकारों पर निर्णय लेने में इसकी अनदेखी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालय [द्वारा निर्धारित](#) कानून के विपरीत कोई भी कार्यवाही अवैध होगी, अंत में उन्होंने कहा कि चूंकि इस मुद्दे पर निर्णय देने का फैसला एक पूर्ववर्ती न्याय करने वाला मूल्य रखता है, जैसा कि सैद्धांतिक रूप से, इस न्यायालय द्वारा तय किया जा चुका है कि यदि अभियुक्त पर एक ही मुकदमे में घटनाओं की एक श्रृंखला में एस.सी.-एस.टी. अधिनियम 1989 और पोक्सो अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए एक साथ आरोप लगाया जाता है, तो, उस स्थिति में, 2(2020)7 एस.सी.सी 87 3 (2020) 7 एस.सी.सी 112 4 ए.आई.आर. 1962 एस.सी. 1893 के अनुसार [पोक्सो अधिनियम के तहत गठित](#) एवं नामित 'विशेष न्यायालय को उक्त अपराध के विचारण हेतु [अधिसूचित किया गया है](#) । दोनों अधिनियमों के तहत अपराध(ओं) की सुनवाई करने के लिए [पोक्सो अधिनियम के तहत गठित](#) एवं नामित 'विशेष न्यायालय को विशेष क्षेत्राधिकार होगा, ऐसे में 10-12-2020 के आदेश को संशोधित करने के लिए कोई मामला नहीं बनता है और संशोधन के लिए आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा ऊपर दिए गए परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है एवं अभिलेख का भी अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

7. इस न्यायालय ने उपर्युक्त रिट याचिका में दिनांक 10-12-2020 के आदेश के पैराग्राफ 1 में निम्नलिखित प्रश्न विरचित किया है, जो इस प्रकार है: -

" यदि किसी अभियुक्त पर [अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति \(अत्याचार निवारण\) अधिनियम, 1989](#) (संक्षेप में, 'एस.सी.-एस.टी. अधिनियम, 1989') के दंडात्मक प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप लगाया गया है और साथ ही साथ उसी मुकदमे में [यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012](#) (संक्षेप में, 'पोक्सो अधिनियम') के दंडात्मक प्रावधानों के तहत भी आरोप लगाया गया है, तो ऐसी स्थिति में एस.सी.-एस.टी. अधिनियम, 1989 के [तहत गठित विशेष अदालत या पोक्सो अधिनियम](#) के तहत गठित विशेष अदालत में से किसे उक्त दोनों अधिनियमों के तहत दंडनीय अपराधों पर मुकदमा चलाने का क्षेत्राधिकार होगा ? "

तत्पश्चात, दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने तथा अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात, इस न्यायालय ने अनुच्छेद 45 में विरचित प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया: -



"यदि अभियुक्त पर एस.सी.-एस.टी. अधिनियम, 1989 और पोक्सो अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एक ही समय में, एक ही घटना के सिलसिले में, एक ही मुकदमे में आरोप लगाया जाता है, तो उस स्थिति में पोक्सो अधिनियम के तहत गठित और अधिसूचित नामित 'विशेष न्यायालय' के पास दोनों अधिनियमों के तहत अपराधों पर विचारण करने का विशेष क्षेत्राधिकार होगा।"

8. संक्षेप में, इस न्यायालय ने सैद्धांतिक रूप में माना कि यदि अभियुक्त पर एस.सी.-एस.टी. अधिनियम 1989 के तहत दंडनीय अपराध और पोक्सो अधिनियम के तहत एक ही प्रकरण के विचारण में घटनाओं की एक श्रृंखला के लिए एक साथ आरोप लगाया जाता है, तो उस स्थिति में पोक्सो अधिनियम के तहत गठित और अधिसूचित "विशेष न्यायालय" के पास दोनों अधिनियमों के तहत अपराध का विचारण करने का विशेष क्षेत्राधिकार होगा और परिणामस्वरूप, विधि के अनुसार सुनवाई और निराकरण हेतु प्रकरण को विशेष न्यायाधीश (अत्याचार), कोरबा के न्यायालय से विशेष न्यायालय (पोक्सो), कोरबा (पोक्सो अधिनियम के तहत गठित/अधिसूचित) स्थानांतरित करने के लिए निर्देश जारी किया गया।

9. इस न्यायालय द्वारा 10-12-2020 को पारित आदेश (राम स्वरूप राजवाड़े बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य) का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया गया जिसके अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निहित प्रावधानों के आलोक में एस.सी.-एस.टी. अधिनियम 1989 और पोक्सो अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों की विस्तृत जांच, एस.सी.-एस.टी. अधिनियम 1989 और पोक्सो अधिनियम के साथ समान अधिनियमों के तहत समान मुद्दों के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक उदाहरणों की समीक्षा एवं अन्य उच्च न्यायालयों जिनके समक्ष समान कानूनी प्रश्न से निपटने का अवसर था के अवलोकन के बाद उक्त प्रश्न का उत्तर इस न्यायालय ने 10-12-2020 के आदेश द्वारा दिया था कि एक अभियुक्त जिस पर एक ही विचारण में घटनाओं की एक श्रृंखला में एस.सी.-एस.टी. अधिनियम 1989 और पोक्सो अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एक साथ आरोप लगाया गया है, उसे दोनों विधानों के तहत पोक्सो अधिनियम के तहत गठित और अधिसूचित विशेष न्यायालय में विशेष रूप से मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10-12-2020 को पारित आदेश एक "कानून की घोषणा" / कानून का उद्घोषणा है, जो न्यायालय के पास एक ही मुकदमे में, जिसमें एस.सी.-एस.टी. अधिनियम 1989 और पोक्सो, अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एक साथ आरोपित अभियुक्त पर



मुकदमा चलाने का विशेष क्षेत्राधिकार है इसलिए, इस न्यायालय का दिनांक 10-12-2020 का आदेश, जिसमें "उपयुक्त न्यायालय" के रूप में घोषणा की गई है, वास्तव में भारत के संविधान के [अनुच्छेद 226](#) के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में रिट/संवैधानिक न्यायालय द्वारा दिया गया "निर्णय" है, जो कि राज्य सरकार द्वारा जारी दिनांक 12-09-2014 की अधिसूचना (यदि कोई हो) के अस्तित्व के बावजूद, छत्तीसगढ़ राज्य सहित राज्य के भीतर सभी कार्यकारी/न्यायिक प्राधिकारियों पर बंधनकारी है। आवेदक राज्य द्वारा 12-09-2014 की अधिसूचना को संशोधित करने की मांग की गई है।

[10. सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने सतरुचर्ला विजय राम राजू बनाम निम्मका जया राजू एवं अन्य](#) ⁵ के मामले में तथा [डेक्कन पेपर मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम रीजेंसी महावीर प्रॉपर्टीज](#) एवं अन्य 6 के मामले में पारित निर्णय इस प्रकार है कि -

"10. ... अंग्रेजी कानून में जजमेंट इन रेम को " किसी न्यायाधिकरण द्वारा किसी विशेष विषय-वस्तु की स्थिति के आधार पर (जैसा कि इसका नाम दर्शाता है) सुनाया गया निर्णय (जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी होता है)" के रूप में परिभाषित किया जाता है। ..."

5 (2006) 1 एस.सी.सी 212 6 ए.आई.आर. 2020 एस.सी. 4047

[11. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य](#) 7 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना कि दीक्षितों की स्थिति की घोषणा करने वाला उच्च न्यायालय का निर्णय एक [जजमेन्ट इन रेम](#) है। उनके माननीय न्यायाधीशों ने इस प्रकार टिप्पणी की: -

"49. यह घोषणा कि "दीक्षितार एक धार्मिक संप्रदाय या उसका एक भाग हैं" वास्तव में उनकी स्थिति की घोषणा है और ऐसी घोषणा करना वास्तव में एक [जजमेन्ट इन रेम](#) है।"

[12. अंबिका प्रसाद मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य](#) और अन्य 8 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने माना है कि हर नई खोज या तर्कपूर्ण नवीनता किसी बाध्यकारी मिसाल को रद्द या पुनर्विचार के लिए बाध्य नहीं कर सकती। उनके माननीय न्यायाधीशों ने निम्नलिखित रूप से उचित टिप्पणी की: -



"6. यह याद रखना बुद्धिमानी है कि पहले के निर्णयों द्वारा दबाई गई घातक खामियां मृत्यु के बाद भी जीवित नहीं रह सकतीं, क्योंकि कोई निर्णय "केवल इसलिए अपना अधिकार नहीं खो देता है क्योंकि यह बुरी तरह से तर्क दिया गया था, अपर्याप्त रूप से विचार किया गया था और गलत तर्क दिया गया था". ..."

13. गुजरात राज्य और अन्य बनाम न्यायमूर्ति आर.ए. मेहता (सेवानिवृत्त) और अन्य 9 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय के बाध्यकारी प्रभाव के बारे में ऊपर बताए गए विधि के सिद्धांत का पालन किया गया। यह निम्नानुसार देखा गया: -

"निर्णय का बाध्यकारी प्रभाव

61. इस स्थापित कानूनी प्रस्ताव के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता है कि इस न्यायालय का निर्णय बाध्यकारी है, खासकर जब वह समन्वय पीठ या बड़ी पीठ का हो। यह कहना भी सही है कि भले ही किसी विशेष मुद्दे पर पहले चर्चा न हुई हो या कोई विशेष तर्क दिया गया हो लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया हो, उक्त निर्णय 7 (2014) 5 एस.सी.सी 75 8 (1980) 3 एस.सी.सी 719 9 (2013) 3 एस.सी.सी 1 अपना बाध्यकारी प्रभाव नहीं खोता है, बशर्ते कि जिस बिंदु के संदर्भ में तर्क बाद में दिया गया है, उस पर वास्तव में निर्णय लिया गया हो इसलिए निर्णय "केवल इसलिए अपना अधिकार नहीं खोएगा क्योंकि यह बुरी तरह से तर्क दिया गया था, अपर्याप्त रूप से विचार किया गया था या गलत तरीके से तर्क दिया गया था"। मामले पर उसी के अनुपात निर्णय को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए अर्थात् सामान्य कारण या सामान्य आधार जिस पर न्यायालय का निर्णय आधारित है, या विशेष मामले की विशिष्ट विशिष्टताओं से परीक्षण या सार पर जो अंततः निर्णय को जन्म देता है। (सोमवंती बनाम पंजाब राज्य 10, बल्लभदास मथुरादास लखानी बनाम नगरपालिका समिति, मलकापुर 11, अंबिका प्रसाद मिश्रा बनाम यूपी राज्य 5, एस.सी.सी पृष्ठ 723, पैरा 6 और सेटलमेंट निदेशक बनाम एमआर अप्पाराव 12 देखें।)"

14. इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम अरविंद कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य 13 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने माना कि कानून की घोषणा को जजमेन्ट इन रेंम माना जा सकता है और इसका लाभ सभी समान स्थिति वाले व्यक्तियों को



मिलता है, चाहे उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया हो या नहीं। यह निम्नानुसार देखा गया: –

"22. उपरोक्त निर्णयों को पढ़ने से जो कानूनी सिद्धांत उभर कर सामने आते हैं, जिनका उल्लेख अपीलकर्ताओं और प्रतिवादियों दोनों ने किया है, उनका सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है।

22.1. सामान्य नियम यह है कि जब कर्मचारियों के किसी विशेष समूह को न्यायालय द्वारा राहत दी जाती है, तो उस लाभ को सभी अन्य समान स्थिति वाले व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए। ऐसा न करना भेदभाव के समान होगा और भारत के संविधान के [अनुच्छेद 14](#) का उल्लंघन होगा। इस सिद्धांत को सेवा मामलों में अधिक सशक्त रूप से लागू करने की आवश्यकता है क्योंकि इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर विकसित सेवा न्यायशास्त्र यह मानता है कि सभी समान स्थिति वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इसलिए, सामान्य नियम 10 ए.आई.आर. 1963 एस.सी. 151 11 (1970) 2 एस.सी.सी 267; ए.आई.आर. 1970 एस.सी. 1002 12 (2002) 4 एस.सी.सी 638; ए.आई.आर. 2002 एस.सी. 1598 13 (2015) 1 एस.सी.सी 347 [के अनुसार](#) अन्य समान स्थिति वाले व्यक्तियों ने पहले न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया, केवल इसलिए उनके साथ अलग व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।

22.2. [हालांकि](#), यह सिद्धांत आलस्य और देरी के साथ-साथ मौन स्वीकृति के रूप में अच्छी तरह से पहचाने जाने वाले अपवादों के अधीन है। वे व्यक्ति जिन्होंने अपने मामलों में गलत कार्रवाई को चुनौती नहीं दी और उसमें मौन स्वीकृति दे दी और केवल इस कारण से लंबे विलंब के बाद जागे कि उनके समकक्ष जिन्होंने पहले ही अदालत का दरवाजा खटखटाया था, अपने प्रयासों में सफल हो गए, तो ऐसे कर्मचारी यह दावा नहीं कर सकते कि समान स्थिति वाले व्यक्तियों के मामले में दिए गए निर्णय का लाभ उन्हें दिया जाए। उन्हें अनिश्चित माना जाएगा और आलस्य और देरी, और/या मौन स्वीकृति, उनके दावे को खारिज करने का एक वैध आधार होगा।



22.3. हालांकि, यह अपवाद उन मामलों में लागू नहीं हो सकता है जहां न्यायालय द्वारा सुनाया गया निर्णय सभी समान स्थिति वाले व्यक्तियों को लाभ देने के इरादे से लिया गया था, चाहे वे न्यायालय में आए हों या नहीं। इस तरह के निर्णय के साथ अधिकारियों पर यह दायित्व आ जाता है कि वे स्वयं इसका लाभ सभी समान स्थिति वाले व्यक्तियों को दें। ऐसी स्थिति तब हो सकती है जब निर्णय का विषय-वस्तु नीतिगत मामलों से संबंधित है, जैसे कि नियमितीकरण की योजना और इसी तरह के अन्य मामले ([के.सी. शर्मा बनाम भारत संघ 14](#) देखें)। दूसरी ओर, यदि न्यायालय का निर्णय व्यक्तिगत रूप से था जिसमें कहा गया था कि [उक्त निर्णय](#) का लाभ न्यायालय के समक्ष पक्षकारों को मिलेगा और ऐसा निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया है या इसे निर्णय के भाव और भाषा से निहित रूप से पता लगाया जा सकता है, तो जो लोग [उक्त निर्णय](#) का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें संतुष्ट होना होगा कि उनकी याचिका में लापरवाही और देरी या स्वीकृति नहीं है।"

[15. अरविंद कुमार श्रीवास्तव के मामले \(सुप्रा\) में निर्धारित](#) कानून के सिद्धांत का बाद में [शूलाइन बनाम सेवा कर आयुक्त](#) और अन्य 15 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदन के साथ पालन किया गया।

[16. इसी तरह, अनिल रतन सरकार और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य](#) 16 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से माना है कि प्रशासनिक निर्देश/परिपत्र/आदेश न्यायिक आदेशों द्वारा कवर किए गए क्षेत्र में घुसपैठ नहीं कर सकते हैं। उनके माननीय न्यायाधीशों ने इस प्रकार टिप्पणी की: -

" प्रशासनिक स्वतन्त्रता उस क्षेत्र में घुसपैठ नहीं कर सकती जो न्यायिक आदेशों द्वारा संरक्षित है। "

17. उपर्युक्त कानूनी विश्लेषण के आलोक में मामले के तथ्यों पर वापस लौटते हुए और कानून की घोषणा के बाध्यकारी प्रभाव के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य [द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांत](#) पर विचार करने के बाद, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 10-12-2020 द्वारा स्पष्ट रूप से सकारण निष्कर्ष दिया और घोषित किया कि [POCSO अधिनियम](#) के तहत गठित और अधिसूचित "POCSO न्यायालय" "उपयुक्त न्यायालय" होगा, जिसके पास एक ही मुकदमे में घटनाओं की एक श्रृंखला में, दोनों अधिनियमों अर्थात्



एस.सी.-एस.टी. अधिनियम 1989 और [POCSO अधिनियम](#) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एक साथ आरोपित एक अभियुक्त पर विशेष रूप से मुकदमा चलाने का क्षेत्राधिकार है। कानून की ऐसी घोषणा वास्तव में सभी के लिए बाध्यकारी "निर्णय" है और परिणामस्वरूप, आवेदक - राज्य सरकार अब यह नहीं कह सकती और तर्क नहीं दे सकती कि यह केवल वर्तमान मामले को ही बाध्यकारी बनाएगी जो कि राम स्वरूप राजवाड़े बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य है, जो कि WP(Cr.)No.540/2020 का विषय था, जिस पर 15 (2017) 16 SCC 104 16 (2001) 5 SCC 327 10-12-2020 को निर्णय हुआ था, और अन्य मामले इसकी अधिसूचना दिनांक 12-9-2014 द्वारा शासित होंगे।

18. वैसे भी, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि उच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून राज्य के भीतर सभी कार्यकारी और न्यायिक अधिकारियों के लिए बाध्यकारी है। भारत के संविधान का [अनुच्छेद 141](#) यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रकार, जब भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, तो वह पूरे देश में सभी अधिकारियों पर बाध्यकारी होता है, चाहे वे कार्यकारी हों या न्यायिक। भारत के संविधान का [अनुच्छेद 141](#) आगे यह भी प्रावधान करता है कि सभी अधिकारी, सिविल या न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बाध्यकारी प्रभावों के साथ निर्धारित कानून की सर्वोच्चता कोई अपवाद स्वीकार नहीं करती है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय वादियों के बीच निर्णायक होते हैं लेकिन राष्ट्र के लिए घोषणात्मक होते हैं। ([गंगा शुगर कंपनी लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य](#) और अन्य 17 देखें ।)

19. हालांकि संविधान में भारतीय संविधान के [अनुच्छेद 141](#) के अनुरूप कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है जो उच्च न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय/कानून को सभी अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर बाध्यकारी बनाता है-राज्य, तथापि, यह भारतीय संविधान के [अनुच्छेद 227](#) में निहित उच्च न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य के न्यायिक घोषणा में निहित है। [ईस्ट इंडिया कमर्शियल कंपनी लिमिटेड](#) (सुप्रा) में, सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य ने अनिश्चित शब्दों में माना है कि राज्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून उसके अधीक्षण के तहत अधिकारियों या न्यायाधिकरणों पर बंधनकारी है, और वे इसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं और उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत कार्यवाही शुरू करना अवैध होगा और कार्यवाही स्वयं अधिकार क्षेत्र से बाहर होगी। यह निम्नानुसार देखा गया: -



"(29) जैसा कि हम निर्णय के पूर्व के चरण में देख चुके हैं, प्रतिवादी द्वारा जारी नोटिस में अपीलकर्ताओं पर इस प्रकार आरोप लगाए गए हैं:

"विशेष लाइसेंस की शर्तों में से एक यह थी कि माल का उपयोग लाइसेंस धारक के कारखाने में कच्चे माल या सहायक उपकरण के रूप में उपभोग के लिए किया जाएगा और इसका कोई भी हिस्सा अन्य पक्षों को नहीं बेचा जाएगा, लेकिन उस शर्त के उल्लंघन में अपीलकर्ताओं ने आयातित माल का एक हिस्सा तीसरे पक्ष को बेच दिया; और चूंकि माल धोखेधड़ी द्वारा प्राप्त किया गया था, इसलिए वे समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 167 (8) के तहत जब्त किए जाने योग्य थे।"

समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 167(8) केवल तभी लागू की जा सकती है जब आयात या निर्यात के दौरान अधिनियम की [धारा 3](#) के तहत जारी आदेश का उल्लंघन किया गया हो। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने माना कि अधिनियम के तहत जारी लाइसेंस द्वारा लगाई गई शर्त का उल्लंघन अधिनियम की [धारा 5](#) के तहत अपराध नहीं है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण राज्य के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून की अनदेखी कर सकता है और इस प्रकार घोषित कानून के सीधे उल्लंघन में कार्यवाही शुरू कर सकता है। [अनुच्छेद 215](#) के तहत, प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां उसके पास होंगी। [अनुच्छेद 226](#) के तहत, उसके पास मौलिक अधिकारों को लागू करने और किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को, उपयुक्त मामलों में किसी सरकार को, अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आदेश या रिट जारी करने की पूर्ण शक्ति है। यह सुझाव देना असंगत होगा कि एक न्यायाधिकरण जिस पर उच्च न्यायालय का अधीक्षण है, उस न्यायालय द्वारा घोषित कानून की अनदेखी कर सकता है और उसके सीधे उल्लंघन में कार्यवाही शुरू कर सकता है। यदि एक न्यायाधिकरण ऐसा कर सकता है, तो सभी अधीनस्थ न्यायालय भी समान रूप से ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के मामले की तरह ही ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, जो उच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून को अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी बनाता हो। एक उच्च न्यायाधिकरण को दी गई पर्यवेक्षण शक्ति में यह निहित है कि उसके पर्यवेक्षण के अधीन सभी न्यायाधिकरणों को उसके [द्वारा निर्धारित](#) कानून का पालन करना चाहिए। ऐसी आज्ञाकारिता उनके सुचारु कामकाज के लिए भी अनुकूल होगी:



अन्यथा, कानून के प्रशासन में भ्रम की स्थिति पैदा होगी और कानून के प्रति सम्मान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए, हम मानते हैं कि राज्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून उसके अधीन आने वाले अधिकारियों या न्यायाधिकरणों के लिए बाध्यकारी है, और वे कार्यवाही शुरू करने या ऐसी कार्यवाही में शामिल अधिकारों पर निर्णय लेने में इसे अनदेखा नहीं कर सकते। यदि ऐसा है, तो उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत कार्यवाही शुरू करने का संकेत देने वाला प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया नोटिस अमान्य होगा और कार्यवाही स्वयं अधिकार क्षेत्र से बाहर होगी।"

20. ईस्ट इंडिया कमर्शियल कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के उनके लॉर्डशिप द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांत का पालन इस मामले में अनुमोदन के साथ किया गया था श्री बरदकांत मिश्रा पूर्व-

एल्डॉमेंट कमिश्नर बनाम श्री भीमसेन दीक्षित 18. उस मामले में, अपीलकर्ता श्री बरदकांत मिश्रा, न्यायिक अधिकारी के रूप में उड़ीसा राज्य की सुपीरियर न्यायिक सेवा के सदस्य थे और उन्होंने पहले कार्यवाहक जिला न्यायाधीश के रूप में भी काम किया था। वह तात्कालीन समय पर उड़ीसा हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम के तहत बनाए गए हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती आयुक्त, उड़ीसा के रूप में कार्य कर रहे थे और उन्होंने उच्च न्यायालय के पिछले निर्णय का पालन नहीं किया। उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा अवमानना का दोषी पाया गया और जब उन्हें अवमानना का दोषी ठहराए जाने वाले आदेश के खिलाफ उनकी अपील में, अपील को खारिज करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य ने माना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत, उच्च न्यायालय को राज्य में अदालतों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। यह भी माना गया कि 18 (1973) 1 एस.सी.सी 446 उड़ीसा हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम के तहत एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करते हुए, अपीलकर्ता - न्यायिक अधिकारी उच्च न्यायालय के अधीक्षण के अधीन था और तदनुसार, उच्च न्यायालय के निर्णय उस पर बाध्यकारी थे, वह तथ्यात्मक रूप से गलत और नाजायज कारणों का हवाला देकर उनसे बच नहीं सकता था। उनके माननीय न्यायाधीशों ने उचित रूप से निम्नलिखित टिप्पणी की: -

"15. उच्च न्यायालय के पिछले निर्णय का पालन न करने में अपीलकर्ता का आचरण कानून के प्रशासन में भ्रम पैदा करने के लिए किया गया है। यह उच्च



न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के प्रति सम्मान को कम करेगा और उच्च न्यायालय के संवैधानिक अधिकार को कम करेगा। इसलिए उसका आचरण अवमानना के कानून के अंतर्निहित सिद्धांतों द्वारा समझा जाता है। उच्च न्यायालय के विशिष्ट आदेश के प्रति निचली अदालत की अवज्ञा की समानता यह भी बताती है कि उसका आचरण अवमानना के कानून के दायरे में आता है। जिस तरह न्यायालय के किसी विशिष्ट आदेश की अवज्ञा किसी विशेष मामले में न्यायालय के अधिकार और गरिमा को कम करती है, उसी तरह पिछले निर्णय में निर्धारित कानून का पालन न करने का जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण आचरण उच्च न्यायालय के संवैधानिक अधिकार और सम्मान को कम करता है। वास्तव में, जबकि पहले वाले आचरण का एक व्यक्तिगत मामले और सीमित संख्या में व्यक्तियों पर असर पड़ता है, बाद वाले आचरण का बहुत व्यापक और अधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। इसका उद्देश्य न केवल सामान्यतः उच्च न्यायालय के संवैधानिक अधिकार और सम्मान को कमजोर करना है, बल्कि इससे विधि के शासन को भी नुकसान पहुंचाने तथा विधि प्रशासन में अनिश्चितता और भ्रम की स्थिति पैदा होने की भी संभावना है।

16. हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय के पूर्व न्याय-दृष्टान्त का पालन न करने का जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण आचरण अवमानना है, यह अवमानना के दायरे को अनावश्यक रूप से नहीं बढ़ाता है। यह पूर्व न्याय-दृष्टान्त को पृथक करने के एक सद्भावनापूर्ण कार्य को बाधित नहीं करेगा, भले ही यह गलत साबित हो।"

21. इसी तरह, बिष्णु राम बोहरा और अन्य बनाम पराग सैकिया और अन्य 19 के मामले में , सुप्रीम कोर्ट ने राजस्व मंडल की कार्रवाई की निंदा की , जिसमें उसने उच्च न्यायालय के 19 (1984) 2 एस.सी.सी.488 के निर्देशों का पालन करने से इनकार कर दिया और भोपाल शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी ,भोपाल 20 के मामले में अपने पहले के फैसले पर भरोसा करते हुए स्पष्ट रूप से माना कि राजस्व मंडल की ओर से उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने से इनकार करना वास्तव में न्याय से इनकार करना था और इसके अलावा न्याय प्रशासन के मूल सिद्धांतों में से एक को नष्ट करना था। उनके माननीयों द्वारा यह निम्नानुसार देखा गया: -



"11. यह खेदजनक है कि राजस्व मंडल यह समझने में विफल रहा कि किसी अन्य अधीनस्थ न्यायाधिकरण की तरह , वह संविधान के [अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के अधीन था](#) । जिस तरह संविधान के [अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों और आदेशों का पूरे भारत में ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए और उनका पालन कराया गया](#) , उसी तरह संविधान के [अनुच्छेद 226 और 227 के तहत राज्य के भीतर अपने पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के अधीन सभी निचली अदालतों और न्यायाधिकरणों द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णयों और आदेशों का पालन किया जाना चाहिए](#)। हम उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने से इनकार करने में राजस्व मंडल की कार्रवाई की निंदा नहीं कर सकते। [भोपाल शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी, भोपाल 17 में](#) , आयकर अधिकारी ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण जैसे उच्च न्यायाधिकरण के स्पष्ट और सुस्पष्ट निर्देशों का पालन करने से वस्तुतः इनकार कर दिया था जो उसके द्वारा किए गए मूल्यांकन के आदेश के संबंध में अपनी अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने अंतिम आदेश में दिए गए थे। न्यायालय ने माना कि इस तरह का इनकार वास्तव में न्याय से इनकार है और इसके अलावा यह न्याय प्रशासन के मूल सिद्धांतों में से एक को नष्ट करने वाला है, क्योंकि यह इस देश में न्यायालयों के पदानुक्रम पर आधारित है । वर्तमान मामले के तथ्य कमोबेश एक जैसे हैं और हम मामले को यहीं पर छोड़ देते, लेकिन दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय के प्रतिवादी 1 और 2 को शराब का लाइसेंस देने के लिए परमादेश की रिट जारी करने का निर्देश देने वाले फैसले को बरकरार नहीं रखा जा सकता।"

22. इसी प्रकार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने [रामलालन बनाम यूपी राज्य 21](#) के मामले में स्पष्ट रूप से माना कि यदि राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा कोई कानून बनाया गया है, तो वह बंधनकारी है और इसका अनुपालन सभी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए, चाहे वह कार्यकारी हो या न्यायिक और इसे [इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीमती शानू शर्मा बनाम यूपी राज्य](#) और अन्य 22 के मामले में दोहराया है।

23. मामले के तथ्यों पर पुनः विचार करते हुये , यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा राम स्वरूप राजवाड़े (सुप्रा) में की गयी कानूनी घोषणा , जिसमें कहा गया है कि [पोक्सो अधिनियम](#) के प्रावधानों के तहत गठित और अधिसूचित विशेष न्यायालय के पास एक ऐसे



अभियुक्त पर मुकदमा चलाने का विशेष अधिकार होगा, जिस पर एक ही मुकदमे में घटनाओं की एक श्रृंखला में एस.सी.-एस.टी. अधिनियम 1989 के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों और [पोक्सो अधिनियम](#) के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एक साथ आरोप लगाया गया हो, "कानून की घोषणा" है।

इस न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के [अनुच्छेद 226](#) के तहत पारित किया गया है और वास्तव में इसका प्रभाव "सर्वबंधी निर्णय" और "न्यायालय का निर्णय व्यक्तिगत रूप से निर्णय नहीं था" के रूप में होगा, जो लिस के पक्षकारों तक इसकी प्रयोज्यता को सीमित करता है। इसलिए, राज्य सरकार का यह तर्क कि 10-12-2020 का आदेश केवल रिट याचिका (राम स्वरूप राजवाड़े बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य) के पक्षकारों पर लागू होगा और अन्य मामले 12-9-2014 की अधिसूचना द्वारा शासित होंगे, उपर्युक्त कारणों से खारिज किए जाने योग्य है, जिसमें यह भी शामिल है कि प्रशासनिक अधिसूचना न्यायिक आदेश द्वारा कवर किए गए क्षेत्र में घुसपैठ नहीं कर सकती है जैसा कि [अनिल रतन सरकार](#) (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के लॉर्डशिप द्वारा कहा गया है।

24. उच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के संविधान के [अनुच्छेद 227 के आधार पर सभी प्राधिकारियों और न्यायालयों पर बंधनकारी](#) है जैसा कि 22 2017 (3) एडब्ल्यूसी 2410 ने [ईस्ट इंडिया कमर्शियल कंपनी लिमिटेड](#) (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया था। [श्री बरदकांत मिश्रा पूर्व बंदोबस्ती आयुक्त](#) (सुप्रा) में, श्री मिश्रा, एक न्यायिक अधिकारी, जो तात्कालीन समय में हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, उड़ीसा आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे थे, द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन नहीं करने के लिए दोषी पाया गया था, यह माना गया था कि यह कानून के प्रशासन में भ्रम पैदा करने के लिए गणना की गई है और यह उच्च न्यायालय [द्वारा निर्धारित](#) कानून के सम्मान को कमजोर करेगा और उच्च न्यायालय के संवैधानिक अधिकार को खराब करेगा और यह कानून के शासन को नष्ट करने और न्याय के प्रशासन में परेशान करने वाली अनिश्चितता और भ्रम पैदा करने की संभावना है। [भोपाल शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड](#) (सुप्रा) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने माना है कि राजस्व मंडल द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने से इनकार करने से न्याय से इनकार हो जाएगा और यह न्याय प्रशासन के बुनियादी सिद्धांतों के लिए विनाशकारी होगा।



25. मेरी सुविचारित राय में, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऊपर बताए गए निर्णयों अर्थात् ईस्ट इंडिया कमर्शियल कंपनी लिमिटेड (सुप्रा), श्री बरदकांत मिश्रा एक्स-एल्डॉमेंट कमिश्नर (सुप्रा) और भोपाल शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सुप्रा) में निर्धारित कानून वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूरी तरह लागू होते हैं और इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10-12-2020 के आदेश द्वारा प्रतिपादित कानून का सिद्धांत विहित निर्णय का प्रभाव होगा और राज्य सहित राज्य के सभी न्यायिक और कार्यकारी अधिकारियों पर बंधनकारी होगा। जिस संशोधन के लिए प्रार्थना की गई है, वह न केवल कानून के प्रशासन में भ्रम और अराजकता पैदा करेगा, बल्कि यह इस न्यायालय (उच्च न्यायालय) द्वारा निर्धारित कानून के प्रति सम्मान को खत्म कर देगा और इस न्यायालय (उच्च न्यायालय) के संवैधानिक अधिकार को कम कर देगा और उच्च न्यायालय की गरिमा को कम करने का भी प्रभाव डालेगा।

26. उपर्युक्त कानूनी विश्लेषण के परिणामस्वरूप, मैं राज्य सरकार के दिनांक 10-12-2020 के आदेश को संशोधित करने के अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ हूं, जो कि रिट कोर्ट के समक्ष पक्षकारों तक ही सीमित है, और इस प्रकार, संशोधन के लिए आवेदन को अस्वीकार किया जाना चाहिए और तदनुसार, योग्यता-रहित और सारहीन होने के कारण इसे अस्वीकार किया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/-

(संजय के. अग्रवाल)

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

